	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/8/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प–लाम्बा में पेश हुयी। पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.06.2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है एंव मूल दावा तलबी में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की अपील भी पेश नहीं की है। उक्त आदेश को एक वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद में शामिल की जावे। (पिंकी मीणा) आरएएस उपखण्ड अधिकारी, टोंक लोक अदालत केम्प–सोरण	

Scanned by CamScanner